न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास — मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या — 30/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1कमल किशोर बंग पुत्र सत्यनारायण जाति बंग निवासी शहरी गली, मा. मुण्डवा जिला नागौर। फर्म—मैसर्स जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी, शहरी गली मारवाड मुण्डवा जिला नागौर। 2बाबूलाल चौधरी पुत्र गुमानराम निवासी डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी जिला नागौर। फर्म—मैसर्स चौधरी टी कंपनी, डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी जिला नागौर। 3रतनलाल जाट पुत्र गंगाराम जाट निवासी गांव हनुमानपुरा तहसील नावां जिला नागौर। फर्म—मैसर्स चौधरी टी कंपनी, डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी जिला नागौर। 4 फर्म—मैसर्स चौधरी टी कंपनी, डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी जिला नागौर।

आदेश दिनांक :25.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 19-09-2019 को मैसर्स जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी, शहरी गली मारवाड मुण्डवा जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ चाय (दिलखुश ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1101 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/181/एक्ट/2019/235 दिनांक 27.03.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना चाय (दिलखुश ब्राण्ड) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण कमल किशोर बंग पुत्र सत्यनारायण बंग जाति माहेश्वरी निवासी शहरी गली, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर, बाबूलाल चौधरी पुत्र गुमानराम चौधरी निवासी डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी जिला नागौर, रतनलाल जाट पुत्र गंगाराम जाट निवासी गांव हनुमानपुरा तहसील नावां सिटी जिला नागौर तथा फर्म मैसर्स चौधरी टी कम्पनी, डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी, जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 17-06-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दिनांक 25.03.2021 को पेश किया गया तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 का दिनांक 22.08.2019 की तारीख पेशी का नोटिस अप्रार्थी सं. 3 रतनलाल द्वारा तामील किया गया है। जिनकी ओर से श्री गोविन्द कडवा ने दिनांक 22.08.2019 को वकालतनामा पेश किया तथा आज वो गैर हाजिर रहे है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि मुझ प्रार्थी कमल किशोर करबा मुण्डवा मोहल्ला शेरी गली मे एक छोटी दुकान किराणा की चलाता है। जिसमे मैने मैसर्स चौधरी टी कम्पनी डालाबालाजी रोड कृषि मण्डी के दक्षिण तरफ कुचामन सिटी जिला नागौर से सूखी चाय पत्ती के पेकेट वास्त विक्रय हेतु लिये थे। उक्त पैकेट सील बंद पैकेट थे। जिसकी मेरे द्वारा सीलबंद ही बेचे जाते रहे है। उक्त पैकेट का सेम्पल राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर के द्वारा मेरी दुकान से आकर सेम्पल लिया गया है तत्पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि उक्त सेम्पल लेबोरेटरी मे सही नही पाया गया है। मै यह जुर्म स्वीकार करता हूँ। भविष्य मे नही करूंगा। मेरे द्वारा उक्त माल मैसर्स चौधरी टी कम्पनी डाला बालाजी रोड कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ कुचामन सिटी नागौर से क्रय किया था। मेरे द्वारा किसी तरह की चाय पत्ती मे मिलावट आदि व अन्य किसी प्रकार का कार्य नही किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब मे बताया कि मै मैसर्स चौधरी टी कम्पनी डालाबालाजी रोड कृषि मण्डी के दक्षिण तरफ कुचामनसिटी का भागीदार हूँ तथा मेरी फर्म द्वारा चाय पत्ती का पेकेट बनाकर सीलकर विक्रय किये जाते है तथा नागौर जिले मे छोटे छोटे दुकानदारो को वास्ते बिक्री हेतु विक्रय किये जाते है। उक्त चाय पैकेट पैकिंग करते समय मेरे स्टॉफ द्वारा अज्ञानतावश बेच नं. पैकेट पर अंकित करना भूल गये थे। जिसके कारण लेबोरेटरी मे उक्त माल का सेम्पल पास हो गया और मिस ब्रान्ड हो गया था। जिस कारण मुझे नोटिस दिया गया। मैने उक्त पेकिंग माल श्री कमल किशोर बंग व कई अन्य व्यापारियो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

को भी विक्रय किया था। अज्ञानतावश भूल के लिये मै स्वयं जिम्मेवार हूँ। भविष्य मे इस तरह की पुनरावृति नही की जायेगी।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/181/एक्ट/2019/235 दिनांक 27.03.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (दिलखुश ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्डेड पाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 कमल किशोर बंग पुत्र सत्यनारायण बंग जाति माहेश्वरी निवासी शहरी गली, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर, पर रूपये 20,000/— अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 2 बाबूलाल चौधरी पुत्र गुमानराम चौधरी निवासी डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी जिला नागौर, पर रूपये 20,000/— अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 3 रतनलाल जाट पुत्र गंगाराम जाट निवासी गांव हनुमानपुरा तहसील नावां सिटी जिला नागौर, पर तथा अप्रार्थी सं. 4 फर्म मैसर्स चौधरी टी कम्पनी, डाला बालाजी रोड, कृषि मण्डी के दक्षिणी तरफ, कुचामन सिटी, जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 40,000/— अक्षरे चालीस हजार रूपये कुल रूपये 80,000/— अक्षरे अस्सी हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)